


वित्तीय वर्ष 2009-2010 में उक्त खाते में अंकन 13,939/- रूपए की धनराशि थी तथा अंकन 3,11,856/- रूपए मुझे मेरे विवाह के अवसर पर विभिन्न रिश्तेदारों एवं मेहमानों द्वारा उपहार स्वरूप दिये गये थे। उक्त विवरण को मेरे द्वारा अपनी सम्पत्ति के विवरण में दर्शाया गया है। इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2010-2011 में मेरी बचत/कटौती/इन्वेस्टमेन्ट मेरी आय से अधिक नहीं है।

(4) यह कि वित्तीय वर्ष 2011-2012 में मुझे वेतन से अंकन 5,79,943/- रूपए आय प्राप्त हुई थी, जिसमें से अंकन 30,167/- की कटौती जी०आई०एस०, आयकर एवं सी०पी०एस० में हुई थी तथा अंकन 39,109/- रूपये एल०आई०सी० पॉलिसी में तथा अंकन 60,000/- रूपए पी०पी०एफ० खाते में मेरे द्वारा जमा कराये गये थे। दिनांक 31.03.2012 को मेरे स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया के सेलेरी एकाउन्ट में अंकन 5,50,342/- रूपये शेष रहे थे। चूँकि तत्समय नियुक्ति स्थल बरेली में समस्त राजकीय वेतन बैंक ऑफ बडौदा में ही जमा किया जाता था, इसलिए मेरे द्वारा बैंक ऑफ बडौदा में खाता खुलवाया गया था। वित्तीय वर्ष 2011-2012 के सम्पत्ति विवरण में बैंक ऑफ बडौदा के खाते में टंकन त्रुटिवश अंकन 7,21,167/- रूपये टाईप हो गया है जबकि वास्तव में यह धनराशि मात्र अंकन 72,167/- रूपये ही है। इसलिए निवेदन यह है कि उक्त धनराशि को अंकन 72,167/- रूपये पढ़ने की कृपा करे। बैंक ऑफ बडौदा के खाते की पासबुक की छायाप्रति अवलोकनार्थ संलग्न है। इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2011-2012 में मेरी बचत/कटौती/इन्वेस्टमेन्ट मेरी आय से अधिक नहीं है।

(5) यह कि सहवन भूल के कारण विलम्ब से विवरण एवं स्पष्टीकरण प्रेषित करने के लिए मैं क्षमा प्रार्थनीय हूँ। भविष्य में मेरे द्वारा विलम्ब नहीं किया जाएगा।

आख्या माननीय महोदय की सेवा में सादर प्रेषित है।

भवदीया,


(अपर्णा देव),

सिविल जज (प्रवर खण्ड),

मुजफ्फरनगर।

POCO

SHOT ON POCO X2

प्रेषिका,
अपर्णा देव,
सिविल जज (प्रवर खण्ड),
मुजफ्फरनगर।

सेवा में,
माननीय महा निबन्धक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

विषय: चल व अचल सम्पत्ति 2016-2018, 2018-2020 के विवरण एवं पत्रांक 17829/IV-3869/
Admin (A)/ दिनांकित 14.12.2018 के तहत चाहे गये स्पष्टीकरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

विनम्र निवेदन यह है कि माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्रांक 17829/IV-3869/Admin (A)/ दिनांकित 14.12.2018 के तहत मुझसे कुछ बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण चाहा गया है, जिसके सम्बन्ध में सादर निवेदन है-

(1) यह कि मेरे द्वारा दिनांक 18.12.2009 को अपर सिविल जज (अवर खण्ड), मेरठ के रूप में सेवा प्रारम्भ की गई है।

(2) यह कि वित्तीय वर्ष 2009-2010 में मुझे कुल अंकन 58,727/- रूपए वेतन स्वरूप प्राप्त हुआ था, जिसमें अंकन 360/- रूपए जी०आई०एस० की कटौती हुई और मेरे खाते में दिनांक 31.03.2010 को अंकन 51,727/- रूपए अवशेष थे। उस समय मैं अविवाहित थी। मेरा भरण-पोषण मेरे पिता जी द्वारा ही किया जा रहा था तथा मेरे ऊपर मेरे परिवार का कोई दायित्व नहीं था। मेरा सेलरी एकाउन्ट दिनांक 23.12.2009 को मेरे पिता जी द्वारा दिये गये एक हजार रूपए से खोला गया था। मैं अपने आवंटित सरकारी मकान में अकेले रहती थी। मुझे प्रथम वेतन दिनांक 22.01.2010 को प्राप्त हुआ था। इसलिए मुझे अधिकांश सामान प्रथम वेतन प्राप्त करने से पूर्व ही मेरे पिता जी द्वारा दिला दिया गया था। मेरे द्वारा अपने खाते से दिनांक 29.01.2010 को अंकन 5,000/- तथा दिनांक 16.03.2010 को अंकन 3,000/- रूपए निकाले गये थे। चूंकि मैं अपने आवंटित सरकारी मकान में अकेले रहती थी तथा मुझे कचहरी आने-जाने के लिए पूलड कार मिली हुई थी। इसलिए मेरे रहने खाने का खर्चा अत्यन्त कम था। वित्तीय वर्ष 2009-2010 में मेरे द्वारा कोई इनवेसमेन्ट नहीं किया गया था।

(3) यह कि वित्तीय वर्ष 2010-2011 में मुझे अंकन 5,02,589/- रूपए वेतन मिला था, जिसमें से अंकन 22,830/- की कटौती जी०आई०एस०, आयकर एवं सी०पी०एस० में हुई थी तथा अंकन 39,109/- रूपये एल०आई०सी० पॉलिसी में तथा अंकन 60,000/- पी०पी०एफ खाते में मेरे द्वारा जमा कराये गये थे। तत्पश्चात् मेरे घरेलू खर्चों के उपरान्त मेरे सेलरी एकाउन्ट में दिनांक 31.03.2011 को अंकन 2,93,769/- रूपए की धनराशि शेष रही थी। मेरा विवाह दिनांक 20.06.2010 को हुआ था। वित्तीय वर्ष 2010-2011 में बैंक ऑफ बड़ौदा के खाते में मेरे द्वारा अंकन 3,25,795/- रूपए की धनराशि दर्शायी गयी है, जिससे पूर्व